उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

बुधवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1946

(18 दिसम्बर, 2024)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयकों को सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024

(2) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2024

(3) उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2024

(4) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पाँचवाँ संशोधन) विधेयक, 2024

(5) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवाँ संशोधन) विधेयक, 2024

(6) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवाँ संशोधन) विधेयक, 2024

(7) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (आठवाँ संशोधन) विधेयक, 2024

अनन्तिम रूप से (8) उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2024

(श्री अध्यक्ष ने प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है।)

3-संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य अनुभाग-2 की उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2024 (दिनांक 29-07-2024 से दिनांक 01-08-2024 तक) में नियम 115 के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-115 (4) के प्राविधानों के अनुसार दिनांक 18-12-2024 को सदन की मेज पर रखेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

4-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2003-2004), (2013-2014) व (2015-2016) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

5-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2002-2003), (2004-2005), (2006-2007), (2014-2015) व (2017-2018) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

6-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2010-2011) व (2017-2018) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

7-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2005-2006) व (2015-2016) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 पॉवर कॉरपोरेशन लि0 (उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्) से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी)

8-श्री अश्विनी त्यागी, सदस्य, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2024-2025) का पंचम प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष (2011-2012), (2017-2018) व (1994-1995) (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करेंगे।

9-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में सर्वश्री मुकुल यादव, लाल बिहारी यादव, मो0 जासमीर अंसारी, बलराम यादव, राजेन्द्र चौधरी, (डा0) मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा, शाहनवाज खान, शाह आलम व श्री किरण पाल कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2024 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद अमेठी के तहसील अमेठी में परिवहन विभाग द्वारा बस स्टेशन पर दुकानों का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल, सदस्य, विधान परिषद् व डा0 सरोजनी अग्रवाल, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद अमेठी के तहसील-अमेठी में परिवहन विभाग द्वारा बस स्टेशन पर 05 वर्ष पूर्व निर्मित दुकानों का आवंटन करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द नारायण शुक्ल व श्री राम चन्द्र प्रधान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत वृन्दावन कालोनी, सेक्टर-10 सी (नगर जोन-8), जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ख')

13-डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम मगराइचपुरवा, पोस्ट-पाण्डेयचौरा, जनपद-गोण्डा के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

14-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम सरसाखुर्द, ग्राम सभा-बिसवां देहात, विकास खण्ड-बिसवां, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

15-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-नकहा, विकास खण्ड-रेउसा, जनपद-सीतापुर के निवासियों की ओर से इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

16-डा0 के0 पी0 श्रीवास्तव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत मोहल्ला-त्रिवेणी नगर, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से सड़क का चौड़ीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

17-वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा।

अनन्तिम रूप से

18-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

अनन्तिम रूप से

19-वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2024-2025 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2024, जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

लखनऊ :
बुधवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1946
(18 दिसम्बर, 2024)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

18 दिसम्बर, 2024 **विधान परिषद् के तृतीय सत्र (2024) का प्रथम बुधवार**

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	12-9-2024
*2	12-9-2024
*3	26-9-2024
*4	3-10-2024
*5	14-10-2024
*6	5-11-2024
*7	8-11-2024
*8	4-12-2024
*9	5-12-2024
*10	5-12-2024
*11	5-12-2024
*12	5-12-2024
*13	5-12-2024
*14	5-12-2024
*15	5-12-2024
*16	5-12-2024

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	12-9-2024
2	12-9-2024
3	7-10-2024
4	7-10-2024
5	14-10-2024
6	14-10-2024
7	14-10-2024
8	14-10-2024
9	15-10-2024
10	15-10-2024
11	8-11-2024
12	8-11-2024
13	4-12-2024

नत्थी ‘क’

बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, सन् 2024 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन कार्यालय में शिक्षित नवयुवकों के रोजगार के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

*1-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन कार्यालय का स्वरूप बदल गया है जिस कारण अब शिक्षित नवयुवकों को सरकारी रोजगार के बजाये प्राइवेट/अस्थायी रूप से कुछ महीनों के लिये कार्य पर श्रम एवं सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रखवाया जा रहा है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

वाराणसी मण्डल में परिवहन विभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
2

*2-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि परिवहन विभाग में कोई स्थानान्तरण नीति है ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो वाराणसी मण्डल में ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनका स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के आधार पर नहीं किया गया है ?

(ग) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज बहादुर सिंह चन्देल

3

*3-[अन्तरित]

जनपद-सहारनपुर में अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनवाये जाने के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान

4

*4-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सहारनपुर में कोई अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने का सरकार का कोई इरादा है जिससे जनपद के यात्रियों को इसका सीधा लाभ मिल सके ?

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

5

*5-[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय वजीरगंज एवं राजाजीपुरम, लखनऊ में क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज

6

*6-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय वजीरगंज एवं राजाजीपुरम, लखनऊ में कितने क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारी विगत कई वर्षों से जनपद-लखनऊ में ही तैनात हैं ?

मुख्य मंत्री

(ख) क्या इनकी जाँच कराकर इन्हें किसी दूरस्थ जनपद में स्थानान्तरित करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त कराने के लिये सरकार की योजनाओं के सम्बन्ध में

श्री हंसराज विश्वकर्मा

7

*7-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त कराने के लिए सरकार की क्या-क्या योजनायें चल रही हैं ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

(ख) उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त भविष्य में प्रदेश के बेरोजगारों को और अधिक सुविधायें तथा सरकारी सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्य योजना बनायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ में मृतकों के परिजनों को उनके देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 8 — परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

*8-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 मार्च, 2023 जो कि महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ?

(ग) क्या मृतकों के परिजनों को उनके देयकों (पी0 एफ0, पारिवारिक पेंशन आदि) का भुगतान करा दिया गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) क्या विलम्ब के कारणों सहित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों का स्पष्टीकरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

प्रदेश में होमगार्डों के पारिश्रमिक, भत्ते तथा अन्य सुविधायें बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 9 — होमगाड्र्स राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

*9-(क) क्या होमगाड्र्स मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में होमगार्डों के पारिश्रमिक, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कोई कार्य योजना विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय वजीरगंज, लखनऊ में उचित दर विक्रेताओं को कम यूनिट के राशन कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज 10 — मुख्य मंत्री

*10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय वजीरगंज लखनऊ में कितने उचित दर विक्रेताओं के पास शासनादेश के अन्तर्गत 4000 यूनिट से अधिक राशन कार्ड हैं ?

(ख) क्या इनकी जांच कराकर अधिक यूनिट को काटकर जिन उचित दर विक्रेताओं के पास कम यूनिट के राशन कार्ड हैं, उन्हें आवंटित करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

प्रदेश के जिला कारागारों को नवीनीकृत करने हेतु बनायी गयी योजनाओं के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 11 — कारागार मंत्री

*11-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में जिला स्तर पर कुल कितने कारागार हैं ?

(ख) उक्त जिला कारागारों को नवीनीकृत करने हेतु तथा सुरक्षा/सुविधा सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है ?

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 12 — मुख्य मंत्री

*12-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-10-2024 जो कि प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद उ0प्र0 शासन को सम्बोधित एवं उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन विषयक है, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र का मुख्य बिन्दु क्या है ?

(ग) उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(घ) उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन को कब तक पूर्ण करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाराणसी, विन्ध्याचल व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत संचालित नई बसों में संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 13 — परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

*13-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी व विन्ध्याचल व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 तक कितनी नई बसों का संचालन करते हुए कितने नये संविदा/आउटसोर्सिंग कार्मिकों को नियुक्त किया गया है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

नियमित निदेशक कारखाना के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 14 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*14-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि निदेशक कारखाना के पद पर तैनाती हेतु क्या मानक निर्धारित हैं ?

(ख) क्या निदेशक कारखाना का पद जुलाई, 2023 से रिक्त चल रहा है ?

(ग) क्या निदेशक कारखाना के पद को भरने की योजना बनाकर नियमित चयन हेतु माह जून, 2024 में आदेश प्रदान किये गये हैं ?

(घ) यदि हां, तो उक्त आदेशों के अनुपालन में कब तक नियमित निदेशक कारखाना के पद पर नियुक्ति करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

वाराणसी, विन्ध्याचल व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत श्रमिकों को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं के लाभ के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 15 — श्रम एवं सेवायोजन मंत्री

*15-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि वाराणसी व विन्ध्याचल व आजमगढ़ मण्डल के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2024 तक कितने श्रमिकों को सरकार की कौन-कौन सी योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है ?

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय वजीरगंज, लखनऊ में निरस्त उचित दर के विक्रेताओं के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड अन्य दुकानों में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री धर्मेन्द्र कुमार भारद्वाज 16 — मुख्य मंत्री

*16-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्षेत्रीय आपूर्ति कार्यालय वजीरगंज, लखनऊ में कितने निरस्त उचित दर के विक्रेताओं के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड उन

उचित दर के विक्रेताओं की दुकानों पर सम्मिलित कर लिये गये हैं, जिनके यहां पहले से ही अधिक राशन कार्ड हैं ?

(ख) क्या उन राशन कार्डों को जो नियम विरुद्ध सम्मिलित किये गये हैं उन दुकानों से हटाकर अन्य दुकानों में सम्मिलित करायेंगे ?

(ग) क्या इन नियम विरुद्ध कार्य करने वाले जिला आपूर्ति अधिकारी लखनऊ एवं आपूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

अतारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव 1

1-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 28 अगस्त, 2024 के मध्य प्रयागराज व झांसी मण्डल में खाद्य एवं रसद विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं के अन्तर्गत जनता को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुये हैं ? — मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 2

2-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2024 से दिनांक 29 अगस्त, 2024 के मध्य वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों में खाद्य एवं रसद विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं से जनता को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुये हैं ? — मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 3

3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों में पिछली बार कब और कितनी वृद्धि की गई थी ? — मुख्य मंत्री

(ख) क्या आयोग कार्यालय में अभ्यर्थियों की निरन्तर बढ़ती संख्या, उम्मीदवारों का हित तथा आयोग कार्यालय की गुणवत्ता बढ़ाने तथा कार्य का दबाव हटाने के लिए आयोग

	द्वारा कार्यालय के स्वीकृत पदों से और अधिक पद बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में विचार करेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ?	
डा0 मान सिंह यादव 4	4-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-कानपुर नगर में नया रोडवेज बस डिपो विकास नगर में बनकर तैयार है ? (ख) यदि हां, उक्त बस स्टाप से जनपद-कानपुर से लखनऊ के लिए गंगा बैराज से रोडवेज बसों का संचालन कब शुरू करायेंगे ? (ग) क्या उक्त बसों का स्टाप शुक्लागंज के मराल्हा चौराहे पर बस स्टाप बनाकर रोडवेज बसों का स्टाप सुनिश्चित करायेंगे ? (घ) यदि हां, तो कब तक ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद्य एवं रसद विभाग का बजट कितना है और अब तक कितना व्यय हो चुका है ? (ख) उक्त व्यय बजट को किन-किन मदों में कहाँ-कहाँ व्यय किया गया है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में श्रम एवं सेवायोजन विभाग का कितना बजट आवंटित हुआ है और उनको किन-किन मदों में अब तक कितना व्यय किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग का कितना बजट आवंटित हुआ है और उनको किन-किन मदों में अब तक कितना व्यय किया गया है ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

	(ख) यदि हां, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	
	(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 8	8-(क) क्या कारागार मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कारागार विभाग का कितना बजट आवंटित हुआ है और उनको किन-किन मदों में अब तक कितना व्यय किया गया है ?	कारागार मंत्री
	(ख) यदि हां, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	
	(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री पवन कुमार सिंह 9	9-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में धौरहरा खमरिया, भदफर होते हुए लहरपुर, सीतापुर, लखनऊ मार्ग पर 03 वर्ष पूर्व परिवहन बस सेवा संचालित थी, किन्तु किन्हीं कारणों से इस मार्ग की बस सेवा बन्द कर दी गई है, जिस कारण क्षेत्रीय जनता प्राइवेट बसों के सहारे यात्रा कर रही है, जिससे उन्हें अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
	(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु उपरोक्त मार्ग पर परिवहन बस सेवा पुन संचालित करायेंगे ?	
	(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?	
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 10	10-(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में नये रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु कौन-कौन सी योजनायें वर्तमान में प्रचलित हैं और उससे प्रदेश की जनता को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है ?	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री
	(ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	
	(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री पवन कुमार सिंह 11	11-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में खम्भरिया, भदुपर होते हुए जाने वाली बस का संचालन बंद हो जाने से जनमानस को असुविधा का सामना करना पड़ता है ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग पर बस का संचालन पुनः करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 12	12-(क) क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में मिश्रिख कुतुबनगर पिसावां मार्ग पर परिवहन निगम की बसों का संचालन न होने के कारण जनमानस को असुविधा का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त मार्ग पर बसों का संचालन करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	परिवहन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)
श्री आशुतोष सिन्हा 13	13-[अन्तरित]	

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत वृन्दावन कालोनी, सेक्टर-10 सी (नगर जोन-8) में रमाशंकर के मकान नं0-431 से एस0 के0 शर्मा के मकान नं0-417 तक लगभग 200 मीटर मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थीगण जनपद-लखनऊ के आवास विकास परिषद् की वृन्दावन कालोनी, सेक्टर-10 सी (नगर जोन-8) के मूल निवासी हैं। हमारे कालोनी में रमाशंकर के मकान नं0-431 से एस0 के0 शर्मा के मकान नं0-417 तक लगभग 200 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है, उक्त मार्ग में बरसात के समय पानी भर जाता है, जिससे वहाँ के निवासियों को सड़क मार्ग से आने-जाने में अत्यन्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के समय में दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि वृन्दावन कालोनी, सेक्टर-10 सी (नगर जोन-8) में रमाशंकर के मकान नं0-431 से एस0 के0 शर्मा के मकान नं0-417 तक उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत पोस्ट-पाण्डेयचौरा, ग्राम-मगराइचपुरवा में काली सड़क मनिहारी बन्धा मार्ग से लिंक सार्वजनिक मार्ग (गाटा संख्या-452) राम छबीले तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-गोण्डा के अन्तर्गत पोस्ट-पाण्डेयचौरा, ग्राम-मगराइचपुरवा के मूल निवासी हैं। ग्राम-मगराइचपुरवा में काली सड़क मनिहारी बन्धा मार्ग से लिंक सार्वजनिक मार्ग (गाटा संख्या-452) राम छबीले तिवारी के घर तक लगभग 40 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त खराब अवस्था में है। जबकि बरसात के समय में वहाँ के निवासियों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा बरसात के समय में उक्त मार्ग पर आए दिन दूर्घटनाएं होती रहती हैं। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि ग्राम-मगराइचपुरवा में काली सड़क मनिहारी बन्धा मार्ग से लिंक सार्वजनिक मार्ग (गाटा संख्या-452) राम छबीले तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिसवां, ग्राम सभा-बिसवां देहात में दीपू के मकान से रेलवे स्टेशन के पहले बने मन्दिर तक लगभग 100 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम सब प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-बिसवां, ग्राम सभा-बिसवां देहात के निवासी हैं। ग्राम सभा-बिसवां देहात में दीपू के मकान से रेलवे स्टेशन के पहले बने मन्दिर तक लगभग 100 मीटर सड़क मार्ग अत्यन्त खराब अवस्था में हैं, जिससे वहाँ के निवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-बिसवां, ग्राम सभा-बिसवां देहात में दीपू के मकान से रेलवे स्टेशन के पहले बने मन्दिर तक लगभग 100 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-रेउसा, ग्राम-नकहा में बराती कोटदार के घर से काशीपुर वाली सड़क तक लगभग 700 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन करना है कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-रेउसा, ग्राम-नकहा में बराती कोटदार के घर से काशीपुर वाली सड़क तक लगभग 700 मीटर सड़क बहुत क्षतिग्रस्त है। जिससे वहाँ के निवासियों को सड़क मार्ग से आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-रेउसा, ग्राम-नकहा में बराती कोटदार के घर से काशीपुर वाली सड़क तक लगभग 700 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :- जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत मोहल्ला त्रिवेणी नगर में किरन गैस एजेन्सी, सीतापुर रोड से लाल पक्का पुल तक बन्धा रोड का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-लखनऊ, मोहल्ला त्रिवेणी नगर के मूल निवासी हैं। हमारे मोहल्ला त्रिवेणी नगर में किरन गैस एजेन्सी, सीतापुर रोड से लाल पक्का पुल तक बन्धा रोड का चौड़ीकरण करवाए जाने हेतु शासन/प्रशासन से निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि मोहल्ला त्रिवेणी नगर में किरन गैस एजेन्सी, सीतापुर रोड से लाल पक्का पुल तक बन्धा रोड का चौड़ीकरण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।